



## केन्द्रीय विद्यालय संगठन

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन)

संभागीय कार्यालय, आई.आई.टी. कैंपस, पवई, मुंबई 400076

**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN**

(Under Min. of Education, Govt. of India)

Regional Office: IIT Campus, Powai, Mumbai-400076.

दूरभाष/Tel. (022) 2572 8060/2328/6763/1614/0717 (EAPBX)

ई-मेल/E-mail : [kvsmumbairegion@gmail.com](mailto:kvsmumbairegion@gmail.com)

WEBSITE : <https://romumbai.kvs.gov.in>

F.N.27331/KVS RO Mum/22-23

दिनांक: 02-12-2022

ईमेल द्वारा

प्राचार्य  
केन्द्रीय विद्यालय (सूची अनुसार)  
मुंबई संभाग

**विषय:- विभिन्न कक्षाओं में अभिभावकों के स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति/गृहस्थान में बदलाव के आधार पर विद्यार्थियों के प्रवेश के संबंध में**

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अभिभावकों के स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति/गृहस्थान में बदलाव के आधार पर निम्नवत विद्यार्थियों को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रवेश की अनुमति (क्र. सं. 1 एवं 5 को छोड़कर) निम्नानुसार प्रदान की जाती है। प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि केविस प्रवेश दिशानिर्देश 2022-23 (संशोधित) में निर्धारित शर्तों को पूरा किया गया है और बच्चे केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए अन्यथा पात्र हैं।

क्र. सं.	विद्यार्थी का नाम	कक्षा	विद्यालय से	विद्यालय को	अभियुक्ति
1	SANKET SANDIP PAGARE	II	KV DHULE	KV ONGC PANVEL	Not Permitted
2	SHREYA VERMA	III	KV AFS KUMBHIRGRAM	KV ONGC PANVEL	Permitted in KV Mankhurd
3	ATISA CHAITANYA	III	KV SAP THIRUVANANTHAPURAM	KV RHE PUNE	Permitted
4	VAIBHAV SHASHANK SINGH	I	KV NO.1 GOLCONDA	KV OF AMBARNATH	Permitted
5	TELVEKAR YASH SUBHASH	IX	NEW HORIZON SCHOOL GADHINGLAJ	KV CRPF TALEGAON	According to Part-A point no.5 of KVS Revised Admission Guidelines 2022-23, Principal is the competent authority.
6	AYUSH CHOWDHURY	IX	AIR FORCE GOLDEN JUBILEE INSTITUTE NEW DELHI	KV AFS OJHAR	Permitted


**नोट :- छात्र की TC (issued by Defense Ministry/Depts/Authority) का Endorsement इस कार्यालय द्वारा होने के उपरांत एवं केविस प्रवेश दिशानिर्देश 2022-23 (संशोधित) के भाग - बी विशेष**

प्रावधान बिंदु सं-2 से संबंधित प्रमाणपत्र इस कार्यालय को प्रेषित करने के उपरांत ही प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करें ।

यदि विद्यार्थी को आवेदित विद्यालय के स्थान पर दूसरे विद्यालय में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है तो आवेदित विद्यालय के प्राचार्य उस विद्यार्थी का विवरण आवंटित विद्यालय के प्राचार्य को एवं इसकी सूचना संबंधित आवेदक को प्रदान करना सुनिश्चित करें ।

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया ।

भवदीय

  
 (स.व. जोगलेकर)  
 सहायक आयुक्त

02.12.2022

क्र.सं.	विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	पता	सं.सं.
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...